भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2289
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम

2289. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में विभिन्न केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु कोई कार्रवाई आरंभ की है और यदि हां, तो उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल सरकार को एकीकृत बाल विकास (आईसीडीएस), आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष की आज की तिथि तक राज्य को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार का केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार का राज्य सरकार को राज्य योजना के वित्तपोषण हेतु बाहरी एजेंसी से धन उधार लेने की अनुमति देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केरल सहित पूरे देश में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं को तीन व्यापक मिशनों अर्थात्: (1) पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति और

(3) विकट परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में शामिल किया गया है। मंत्रालय के उपर्युक्त मिशनों के अंतर्गत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं केरल में कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय के तीन मिशनों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए केरल राज्य सरकार को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सरकारें पहले से ही सुस्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसियों से ऋण प्राप्त करती हैं। ये ऋण राज्यों द्वारा निर्धारित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में सहायता करते हैं, जिनका कार्यान्वयन उनके अपने नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है।

*****

अनुलग्नक

लोकसभा में 12.12.2025 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2289 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को विगत पांच वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों का विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	मिशन वात्सल्य	मिशन शक्ति							
				वन स्टॉप सेंटर	महिला हेल्पलाइन	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	शक्ति सदन	सखी निवास	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	पालना	राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केंद्र
1.	2020-21 से 2024-25	1927.62	64.58	10.16	2.63	5.03	5.86	8.08	183.68	5.19	2.73
2.	2025-26	98.77 (30.11.2025 तक)	13.23 (05.12.2025 तक)	1.24 (मूल स्वीकृति)	0.26 (मूल स्वीकृति)	1.65 (मूल स्वीकृति)	0.03 (09.12.2025 तक)	0.75 (10.12.2025 तक)	52.47 (07.12.2025 तक)	0.46 (08.12.2025 तक)	1.52 (24.11.2025 तक)

*****